वित्त प्रभाग

रक्षा मंत्रालय में वित्त प्रभाग, वित्तीय निहितार्थ से संबंधित सभी मामले देखता है। इस प्रभाग का अध्यक्ष सचिव (रक्षा वित्त)/ वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) होता है तथा यह पूर्णत: रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। यह सलाहकार की भूमिका निष्पादित करता है।

रक्षा मंत्रालय के पास शीघ्र निर्णय लेने के लिए बढ़ी हुई प्रदत्त वित्तीय शक्तियां हैं। इन शक्तियों को वित्त प्रभाग की सहमति से प्रयोग में लाया जाता है।

वित्त प्रभाग, रक्षा सेवाओं के प्राक्कलन, रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्कलन तथा रक्षा पेंशन के संबंध में प्राक्कलनों को तैयार करता है तथा निगरानी करता है।

वित्त प्रभाग की भूमिका एवं कार्य

1. वित्तीय पहलू वाले सभी रक्षा मामलों की जांच करना।
2. रक्षा मंत्रालय के विभिन्न पदाधिकारियों तथा सेवा मुख्यालयों को वित्तीय सलाह प्रदान करना।
3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रुप में कार्य करना।
4. व्यय सहित सभी योजनाओं/ प्रस्तावों को तैयार करने और लागू करने में सहायता प्रदान करना।
5. रक्षा योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में सहायता प्रदान करना।
6. रक्षा बजट और रक्षा सेवाएं के लिए अन्य प्राक्लनों, रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्लनों, रक्षा पेंशनों के संबंध में प्राक्कलनों को तैयार करना तथा बजट के समक्ष योजना की प्रगति की निगरानी करना।
7. बजट के बाद सतर्कता रखना ताकि सुनिश्चित हो सके कि व्यय में न तो बहुत अधिक कमी हो, न ही अप्रत्याशित आधिक्य हो।
8. सशस्त्र बलों के मुख्यालयों की शाखाओं के प्रमुखों को उनके वित्तीय दायित्व निर्वाह करने में सलाह देना।
9. रक्षा सेनाओं के लिए लेखांकन प्राधिकारी के रुप में कार्य करना।
10. रक्षा सेनाओं के लिए विनियोजन लेखे तैयार करना।
11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से भुगतानों और रक्षा व्यय की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए दायित्व निर्वाह करना।